निरीक्षण विभाग

निरीक्षण विभाग की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1935 के अंतर्गत बैंक की स्थापना के साथ हुई। विभाग के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

उद्देश्य

- उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके स्पष्ट रूप में कार्यालयों / केंद्रीय कार्यालय के विभागों के कार्यनिष्पादन का आकलन करना कि उन्होंने कौन-कौन से लक्ष्य पूरे किए तथा कौन-कौन से लक्ष्य पूरे किए जा सकते थे
- सुधार हेतु समुचित सुझाव देना ताकि कार्य निष्पादन के स्तर में और वृद्धि की जा सके
- समग्र लेखापरीक्षा कार्य तथा तत्संबंधी विभिन्न प्रक्रियाओं का निरीक्षण करना
- कार्यालयों तथा केंद्रीय कार्यालय के विभागों के कार्यनिष्पादन के संबंध में शीर्ष प्रबंध तंत्र को प्रतिसूचना देना

बैंक में निरीक्षण के प्रकार

वर्तमान में निरीक्षण विभाग द्वारा निम्नलिखित प्रकार के निरीक्षण-कार्य का उनके लिए निर्दिष्ट आवधिकता के अनुसार संचालन/समन्वयन किया जाता है।

- प्रबंध लेखा परीक्षा और कार्यप्रणाली निरीक्षण
- सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा
- अकस्मात् (स्नैप) लेखापरीक्षा
- समवर्ती लेखापरीक्षा
- नियंत्रण स्व-मूल्यांकन लेखापरीक्षा

प्रबंध लेखापरीक्षा और कार्यप्रणाली निरीक्षण (मासी)

प्रबंध लेखापरीक्षा और कार्यप्रणाली निरीक्षण के अंतर्गत निरीक्षण दल विद्यमान प्रणालियों की उपयुक्तता तथा विश्वसनीयता की जांच तथा मूल्यांकन करके रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं तथा यह सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करते हैं कि अधिनियमों, विनियमों, आंतरिक नीतियों तथा प्रक्रियाओं का पालन ध्यानपूर्वक किया गया है तथा सभी कार्य निर्धारित प्रक्रियाओं तथा केंद्रीय कार्यालय के अनुदेशों के अनुसार किए गए हैं। कार्यप्रणाली संबंधी निरीक्षण के अतिरिक्त, निरीक्षण दल प्रबंधन की लेखापरीक्षा भी करते हैं जिसके अंतर्गत संस्थागत लक्ष्यों की प्राप्ति, शक्तियों के प्रत्यायोजन, विभाग/ कार्यालय में ग्राहक सेवा, प्रबंधन की योग्यता अदि की जांच की जाती है। वर्तमान में क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण 15 से 18 महीनों में एक बार तथा केंद्रीय कार्यालय के विभागों/सहयोगी संस्थाओं (भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड तथा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम) का निरीक्षण 20 से 24 महीनों में एक बार किया जाता है। संवेदनशील महत्वपूर्ण विभाग जैसे, बाह्य निवेश और परिचालन विभाग तथा आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग का निरीक्षण वार्षिक आधार पर किया जाता है।

सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा

सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा भी प्रबंध लेखापरीक्षा और कार्यप्रणाली निरीक्षण के साथ-साथ की जाती है।

अकस्मात् (स्नैप) लेखापरीक्षा

निरीक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय रिज़र्व बैंक के सभी कार्यालयों में समवर्ती लेखापरीक्षा (सीए) तथा नियंत्रण स्व-मूल्यांकन लेखापरीक्षा (सीएसएए) प्रणालियों से संबंधित सभी कार्यों के समेकन एवं समन्वयन की दृष्टि से आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणालियों की कार्यशीलता का निरीक्षण करता है ताकि इनका समुचित रूप से कार्य करना सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए निरीक्षण विभाग आवश्यकतानुसार परोक्ष निगरानी के साथ-साथ प्रत्यक्ष जांच भी करता है । परोक्ष निगरानी के अंतर्गत कार्यालयों से आवधिक विवरणियां प्राप्त कर उनकी जांच की जाती है तथा आवश्यक हो तो उनके संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। रिज़र्व बैंक में समवर्ती लेखापरीक्षा तथा नियंत्रण स्व-मूल्यांकन लेखापरीक्षा (सीएसएए) प्रणाली संबंधी व्यवस्था का प्रत्यक्ष जांच के माध्यम से निरीक्षण करने के लिए समय-समय (वर्ष में एक बार) पर सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/केंद्रीय कार्यालय के विभागों/प्रशिक्षण संस्थानों में अकस्मात् लेखापरीक्षा की जाती है।

समवर्ती लेखापरीक्षा

आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था के एक भाग के रूप में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/केंद्रीय कार्यालय के विभागों/प्रशिक्षण संस्थानों को निरीक्षण विभाग द्वारा सूचित किया जाता है कि वे अपनी लेनदेन (मुख्यत: वित्तीय लेनदेन) की लेखापरीक्षा किसी बाहरी सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउंटेंट) फर्म से एसी लेनदेन करने के साथ-साथ कराएं। ऐसे बाहरी सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउंटेंट) फर्मों की नियुक्ति के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों/केंद्रीय कार्यालय के विभागों/प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा निरीक्षण विभाग से अनुमोदन लेना अपेक्षित है।

नियंत्रण स्वमूल्यांकन लेखापरीक्षा

सभी क्षेत्रीय कार्यालय/केंद्रीय कार्यालय के विभाग/प्रशिक्षण संस्थान नियमित रूप से अपनी स्थिति की जांच तथा अपनी कमजोरियों का आकलन कर सकें ताकि समय-समय पर इनकी समीक्षा की जा सके तथा सुधारात्मक कार्रवाई की/शुरू की जा सके, 19999 में विभाग द्वारा नियंत्रण स्वमूल्यांकन लेखापरीक्षा (सीएसएए) शुरूकी गई। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/केंद्रीय कार्यालय के विभागों /प्रशिक्षण संस्थानों को सूचित किया गया था कि वे उक्त लेखापरीक्षा वर्ष में दो बार अर्थात प्रतिवर्ष जून तथा दिसंबर में समाप्त होने वाली छमाही के लिए करें।

जोखिम आधारित निरीक्षण/लेखापरीक्षा (आरबीआइए)

विभाग जोखिम आधारित आंतरिक निरीक्षण इस उद्देश्य से कर सकता है ताकि बैंक प्रबंधन को स्वतंत्र तथा निष्पक्ष रूप से बताया जा सके कि बैंक की कारोबारी प्रक्रियाओं तथा जोखिमों का प्रबंधन भलीभांति किया जा रहा है। आरबीआईए की कार्यपद्धति और कार्यविधियों का विकास किया जाएगा और समय-समय पर उनकी समीक्षा की जाएगी ताकि :

1. नियंत्रणों तथा उनके संबंध में सूचना देने की उपलब्धता, औचित्य तथा प्रभावकारिता की समीक्षा के लिए जोखिम केंद्रित आकलन पर आधारित कारोबारी प्रक्रियाओं के प्रबंधन के बारे में आश्वासन।
2. यह आश्वासन कि सभी महत्वपूर्ण जोखिमों की पहचान करने, उनकी निगरानी करने और उनके संबंध में सूचना देने की सभी प्रक्रियाएं प्रभावकारी हैं, जोखिमों का सही आकलन किया जाता है और संकट को कम करने के सभी उपायों की तैयारी कर ली गई है।
3. एक यथोचित जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क के विकास और स्थापना के लिए आवश्यक सहायता।

तकनीकी लेखापरीक्षा

विभाग कारोबार करने वाले विभागों/उपयोग करनेवाले विभागों/सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, केंद्रीय कार्यालय से अनुरोध प्राप्त होने पर केंद्रीय बोर्ड/आइएएससी/शीर्ष प्रबंध तंत्र के निदेशों के अनुसार या निरीक्षण विभाग द्वारा परिचालनों/प्रणाली की आवशाकता/महत्व को देखते हुए, जहाँ आवश्यक हो, बाहरी सहायता से, आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लेने के बाद, प्रणालियों, प्लेटफार्मों, सेवाओं और प्रौद्योगिकियों आदि की तकनीकी लेखापरीक्षा करेगा।

प्रमाणन

सितंबर 2004 से विभाग को यह कार्य सौंपा गया है कि कुछ चयनित कार्य क्षेत्रों/विभागों में अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन (आईएसओ) जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रमाणपत्र प्राप्त करने के प्रयासों का समन्वयन करे। इस संबंध में विभाग द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियां निम्नानुसार हैं :

क) बैंक द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार गुणवत्ता आश्वासन, प्रबंधन, जोखिम आश्वासन, सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना सुरक्षा आदि के क्षेत्र में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मानकों के कार्यान्वयन की व्यवस्था और उसका समन्वयन

ख) आवश्यक आंतरिक नियंत्रणों के कार्यान्वयन और यथोचित लेखापरीक्षाओं द्वारा उपर्युक्त (क) को बनाए रखना

ग) गुणवत्ता आश्वासन, प्रबंधन, जोखिम आश्वासन, सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना सुरक्षा आदि के क्षेत्र में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानकों के कार्यान्वयन से संबंधित अनुसंधान और/विकासात्मक गतिविधियों का संचालन करना ताकि बैंक के आंतरिक नियंत्रण, गुणवत्ता तथा जोखिम आश्वासन प्रणालियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों/सर्वोत्तम प्रथाओं/पद्धतियों (उदाहरण के लिए जोखिम आधारित आंतरिक निरीक्षण पद्धति का विकास) के अनुरूप बनाया जा सके।

घ) जैसा कि उचित समझा जाए, वांछित अनुमोदनों के बाद, उपर्युक्त (ग) में उल्लिखित मानकों/सर्वोत्तम प्रथाओं के कार्यान्वयन की व्यवस्था।